

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 198/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस. एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजकुमार उदयवाल पुत्र श्री भूरी लाल उदयवाल  
निवासी :- 10, नामदेव कॉलोनी, (कंवर का बाग) वायरलेस कार्यालय के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं 26, नामदेव कॉलोनी, (कंवर का बाग) वायरलेस कार्यालय के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं जरिये आर.के. हैण्डीक्राफ्ट, 1 रामसिंहपुरा बास, शिकारपुरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती पुष्पा देवी उदयवाल पत्नी श्री राजकुमार उदयवाल  
निवासी :- 10, नामदेव कॉलोनी, (कंवर का बाग) वायरलेस कार्यालय के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं जरिये रतनगंगा प्रिन्ट्स, 1, रामसिंहपुरा बास, शिकारपुरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्री दीपक कुमार पुत्र श्री हनुमान सिंह  
निवासी :- गढ के पास, मांडा, अलियारी, तहसील अलियारी, जिला टोंक।
4. श्री सतीश कुमार नामा पुत्र श्री ओंकार लाल नामा  
निवासी :- 01, वायरलेस कार्यालय, सांगानेर बाजार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं द्वारा 26, कुंदन नगर, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री नरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 10.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी राजकुमार उदयवाल पुत्र श्री भूरी लाल उदयवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति भू-खण्ड संख्या 10, कंवर का बाग, नामदेव नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर 40,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.02.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से क्रम संख्या 34 पर सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 40,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 44,43,400/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.02.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी राजकुमार उदयवाल पुत्र श्री भूरी लाल उदयवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति भू-खण्ड संख्या 10, कंवर का बाग, नामदेव नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

7. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 10.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर